संख्या-ए-32015/1/2021-केहिप्रसं/ 1520

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

7वां तल, प.दी.अंत्योदय भवन,
7th Floor, Pt.D.Antyodaya Bhawan,
सी जी ओ परिसर, लोदी रोड़,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
नई दिल्ली/ New Delhi-110003

दिनांक :- ~~16~~.06.2023

19 JUN 2023

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 एवं दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2015-स्था(घ) एवं संख्या-35034/3/2015-स्था(घ), में दिए गए दिशा निर्देशों/ विहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, के अनुपालन में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय संवीक्षा समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापक को जिन्होंने अपने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है , को इस पद के वेतनमान पीबी-2 रु. 9300-34800 के साथ दिए जाने वाले ग्रेड पे रु. 4800/- से नियमानुसार **वेतनमान लेवल-9 रु. 53,100-1,67,800(पूर्व संशोधित पीबी-2 रूपए 9300-34800) के साथ अगला ग्रेड पे रु. 5,400/-** में निम्नानुसार उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी हैः-

क्र.सं.	नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	वर्तमान कैडर में सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति की तारीख	तारीख जब से प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाना है ।
1	2	3	4
1.	श्री भारत भूषण मिश्र, हिंदी प्राध्यापक	03.06.2013	03.06.2023

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और इससे उनकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उनसे कनिष्ठ अधिकारी उस ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के कारण वेतन बैंड या उच्चतर ग्रेड वेतन ले रहा है ।

3. उपर्युक्त हिंदी प्राध्यापकों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा । मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए उक्त अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं । निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी प्रकार का कोई विकल्प मान्य नहीं होगा ।

4. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाला वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा, यदि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत समान ग्रेड वेतन प्रदान किया गया हो । तथापि वास्तविक पदोन्नति यदि किसी ऐसे पद पर हुई है, जिसका ग्रेड वेतन संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्चतर है तो उस समय कोई वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन के अंतर का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा(आडिट) द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई भी हुई, तो वह लेखा-परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी ।

6. उपनिदेशक(दक्षिण) को निदेश दिए जाते हैं कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा निर्देशों/ विहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत मंजूरी प्रदान करने संबंधी आवश्यक आदेश जारी करें।

भवदीय,

16/06/2012

(बंकट लाल शर्मा)
उपनिदेशक(मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. क्षेत्रीय वेतन तथा लेखा अधिकारी(सीआईएसएफ), गृह मंत्रालय, चेन्नै ।
2. उपनिदेशक(मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक(दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नै ।
4. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक(टंकण/आशुलिपि), कें.हि.प्र.संस्थान, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री भारत भूषण मिश्र, हिंदी प्राध्यापक, वर्तमान सहायक निदेशक(भाषा)।
6. एक-एक प्रति संबंधित हिंदी प्राध्यापक की व्यक्तिगत फाइल/ सेवापंजी हेतु ।
7. गार्ड फाईल, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।